संख्या-01 /2025/40(1)/001-40-23-10-2025-23-10099/44/2024

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक 2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मद में पुर्नविनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/107936/2025 दिनांक 29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-54 ले0शी0 2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन के अर्न्तगत बचत की मद से आवश्यकता की मद में रू0 3560.00 लाख के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआहै कि आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 29.01.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान संख्या-54 ले0शि0-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य 001-निदेशन और प्रशासन कोड संख्या-2059-80-001-04-01 (वेतन भत्ता) मद से **रू0 3560.00** लाख के पुर्नविनियोग के प्रस्ताव के सापेक्ष **03 निदेशन के अंतर्गत** 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 10.00 लाख, 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 10.00 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू0 100.00 लाख, 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 100.00 लाख तथा **04- कार्यकारी के अंतर्गत** 04-यात्रा व्यय में रू0 20.00 लाख, 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 30.00 लाख, 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 10.00 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू0 25.00 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू0 300.00 लाख, 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 300.00 लाख तथा 003-प्रशिक्षण -03-शिशुक्षु अधिनियम (संशोधन) 1973 अर्न्तगत लोक निर्माण विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के प्रशिक्षण की योजना-42-अन्य व्यय में रू0 100.00 लाख अर्थात कुल रू0 1005.00 लाख (रूपये दस करोड़ पांच लाख मात्र) का पुनर्विनियोग करते हुये उक्तानुसार धनराशि की संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,05,00,000 (रुपये दस करोड़ पॉच लाख मात्र) को

लेखाशीर्ष: 2059800010300 (निदेशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	054	2059800010300 निदेशन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	054	2059800010300 निदेशन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	054	2059800010300 निदेशन	49 चिकित्सा व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
4	054	2059800010300 निदेशन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**2,20,00,000 (रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2059800010400 (कार्यकारी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	054	2059800010400 कार्यकारी	04 यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
2	054	2059800010400 कार्यकारी	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
3	054	2059800010400 कार्यकारी	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	054	2059800010400 कार्यकारी	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
5	054	2059800010400 कार्यकारी	49 चिकित्सा व्यय	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)

6	054	2059800010400 कार्यकारी	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**6,85,00,000 (रुपये छह करोड़ पचासी लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2059800030300 (शिशिक्षु अधिनियम (संशोधन)1973के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के प्रशिक्षण की योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	054	2059800030300 शिशिक्षु अधिनियम (संशोधन)1973के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के प्रशिक्षण की योजना	42 अन्य व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)**

महायोग	10,05,00,000 (रुपये दस करोड़ पाँच लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या-01/2025/40(1)/001-40-23-10-2025-23-10099/44/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में) / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।